

संपादकीय

चेहरा आपका, आवाज आपकी लेकिन ठगों के हाथ में कमान

आज के डिजिटल युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने जीवन आसान बनाया है, लेकिन इसके दुरुपयोग ने गंभीर खतरे भी पैदा किए हैं। अब किसी व्यक्ति के चेहरे और आवाज की नकल करके ऐसा नकली वीडियो तैयार किया जा सकता है, जिसे देखकर असली और नकली में अंतर करना मुश्किल हो जाए। चिंता की बात यह है कि ठगों के निशाने पर केवल चर्चित हस्तियां नहीं, बल्कि आम नागरिक भी हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध तस्वीरों और वीडियो का दुरुपयोग करके किसी की पहचान से जुड़ी नकली सामग्री तैयार की जा सकती है। इसलिए हर डिजिटल संदेश पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय उसका सत्यापन जरूरी है। एआई से तैयार नकली आवाज और वीडियो के जरिए ठग परिचित बनकर पैसे मांग सकते हैं या बैंक अधिकारी बनकर गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। परिचार के किसी सदस्य के संकेत में होने का बहाना बनाकर तत्काल रकम भेजने का दबाव बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भावनाओं में बहकर जल्दबाजी करना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। किसी परिचित की कमाई पर हमला करें और वहां बह पैसे मांगें, तो उसके पहले से उपलब्ध सत्यापित नंबर पर संपर्क करके पुष्टि करें। वीडियो कॉल पर चेहरा दिखाई देने के बावजूद पूरी तरह अश्वस्त न हों।

डिजिटल धोखाधड़ी का सबसे गंभीर पहलू आम आदमी की मेहनत की कमाई पर हमला है। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक खाते का विवरण, ओटीपी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन या पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। बैंक अधिकारी बनकर फोन करने वाला व्यक्ति यदि केवाईसी या खाता बंद करने के नाम पर गोपनीय जानकारी मांगे, तो सतर्क रहें। अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध एप डाउनलोड करने और किसी दूसरे व्यक्ति को मोबाइल की स्क्रीन साझा करने की अनुमति देने से बचें। बैंक खातों में होने वाले लेनदेन के संदेश चालू रखें और नियमित रूप से खाते की गतिविधियों की जांच करें।

एआई से बने वीडियो की पहचान केवल चेहरे के भाव, आवाज या हाोटों की गतिविधियों के आधार पर करना अब आसान नहीं है। इसलिए वीडियो के स्रोत और उसकी प्रामाणिकता की जांच जरूरी है। किसी अधिकारी, कारोबारी या परिचित का वीडियो असामान्य मांग के साथ सामने आए, तो संबंधित व्यक्ति के आधिकारिक माध्यम से पुष्टि करें। बिना जांच के किसी वीडियो को साझा करने या उसमें दिखने वाले व्यक्ति पर आरोप लगाने से भी बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर निजी तस्वीरें और पारिवारिक वीडियो साझा करते समय सावधानी बरतें। मजबूत पासवर्ड और दो चरणों वाली सुरक्षा व्यवस्था अपनाएं। मोबाइल और कंप्यूटर को नियमित रूप से अपडेट करें। बच्चों और बुजुर्गों को भी डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करें। यदि कोई आपको तस्वीर या आवाज का इस्तेमाल करके फर्जी सामग्री बनाता है, तो उसका प्रमाण सुरक्षित रखें और संबंधित मंच या पुलिस से शिकायत करें।

एआई अपने आप में खतरा नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग गंभीर चुनौती है। सरकार, बैंक और सोशल मीडिया मंचों को जागरूकता बढ़ाने के साथ शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। साइबर ठगी होने पर तुरंत बैंक को सूचित करें और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।

आज ज़रूरत एआई से डरने की नहीं, बल्कि उसके खतरों को समझने की है। चेहरा असली जैसा हो सकता है, आवाज परिचित लग सकती है, लेकिन पैसे भेजने से पहले सत्यापन करना ही समझदारी है।

आजकल

त्योंहारों पर मिठास में जहर?

भारत में त्योहार आते ही बाजार में मांग के साथ मिलावट भी बढ़ जाती है। दीपावली, दशहरा, होली और रक्षाबंधन पर मिठाई, दूध, पनीर, खोया, घी और तेल की खपत बढ़ जाती है। यही समय मिलावटखोरों के सक्रिय होने का होता है। शुद्धता का पर्व अशुद्धता के कारोबार का बड़ा सीजन बन जाता है। खोया और पनीर में स्टार्च, मैदा और अन्य मिलावटी पदार्थों का इस्तेमाल, दूध में यूरिया और डिटर्जेंट की मिलावट तथा घी और तेल में सस्ते विकल्पों का मिश्रण गंभीर चिंता का विषय है। मिठाइयों में हानिकारक रंगों का इस्तेमाल भी स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। मिलावटी खाद्य पदार्थ शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

त्योहारों पर मिलावट बढ़ने के पीछे मांग और आपूर्ति का अंतर, उपभोक्ताओं की जल्दबाजी और खाद्य सुरक्षा जांच की सीमित व्यवस्था प्रमुख कारण हैं। शिकायत मिलने या खबर प्रकाशित होने के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। ज़रूरत ऐसी व्यवस्था की है, जो मिलावट को बाजार तक पहुंचने से पहले रोके।

सरकार को त्योहारों से पहले मिठाई निमाताओं और खोया कारोबारियों की जांच, लाइसेंस का सत्यापन तथा दूध और खोये की आपूर्ति के स्रोतों की निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रत्येक जिले में मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं सक्रिय हों, ताकि मौके पर ही नमूनों की जांच हो सके। मिलावट की पुष्टि होने पर त्वरित कानूनी कार्रवाई और दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए। प्रशासन, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीमें नियमित निरीक्षण करें।

उपभोक्ताओं को भी असामान्य रूप से सस्ते उत्पादों और बिना बिल की खरीदारी से बचना चाहिए। विश्वसनीय दुकानों से मिठाई खरीदें और पैकेट पर निर्माण तिथि तथा लाइसेंस नंबर अवश्य देखें।

त्योहार हमारी संस्कृति और भावनाओं का प्रतीक हैं। मिलावट केवल स्वास्थ्य ही नहीं, लोगों के भरोसे को भी नुकसान पहुंचाती है। जांच में तेजी, दंड में कठोरता और जनजागरूकता से ही इस समस्या पर अंकुश लगाया जा सकता है। मिठाई में मिठास रहनी चाहिए, मिलावट नहीं।

मध्य

प्रदेश में अब पुलिस की रणनीति थानों में नहीं, बल्कि लैब और विश्वविद्यालयों में तय होगी। प्रदेश में पुलिसिंग केवल लाठी, गश्त और एफआईआर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका आधार रिसर्च और वैज्ञानिक डेटा होगा। यह सोच में बड़ा बदलाव है। अब तक पुलिस अपराध होने के बाद हरकत में आती थी, लेकिन अब वह अपराध होने से पहले उसे रोकने के लिए डेटा का इस्तेमाल करेगी। यह नई पहल मैनिट और अमेरिकी विश्वविद्यालय की मदद से क्राइम कंट्रोल से लेकर महाकुंभ तक पुलिस की हाईटेक तैयारी का हिस्सा है।

पुलिस अपने हाईटेक डिजिटल सिस्टम का भी रियलिटी चेक करेगी। इसके तहत मैनिट के डेटा रिसर्च सेंटर की मदद से यह पता लगाया जाएगा कि डायल 112, सीसीटीएनएस, एनएफआईएस और आईसीजेएस जैसी तकनीकों से जनता को वास्तव में कितना फायदा पहुंच रहा है और पुलिस के कामकाज की रफ्तार कितनी बढ़ी है। इसके अलावा, पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सेफ सिली और नशे से दूरी जैसे अभियानों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी रिसर्च की जाएगी। इसका मकसद समझना है कि जमीनी स्तर पर अपराध

नईदुनिया

लोकतंत्र जनादेश से चलेगा, अराजकता के दबाव से नहीं

डॉ. मोहन यादव

लोकतंत्र

में सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होती है। मतदान केंद्र पर खड़ा सामान्य नागरिक अपने एक मत से सरकार बनाता है, उसके काम का मूल्यांकन करता है और भविष्य की दिशा तय करता है। उसकी यह शक्ति किसी राजनीतिक दल की देन नहीं है। यह हमारे संविधान की व्यवस्था है, जिसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। इसीलिए लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाले प्रत्येक राजनीतिक दल से जनता को यह अपेक्षा करने का अधिकार है कि वह अपने व्यवहार में भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करे। लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की परीक्षा सत्ता में रहते हुए भी होती है और विपक्ष में बैठकर भी। जनादेश का सम्मान सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में जीत का उत्सव और हार का आत्म-मंथन, दोनों आवश्यक हैं। जनता के निर्णय से असहमति हो सकती है, लेकिन उसके विवेक का अनादर लोकतांत्रिक राजनीति को कमजोर करता है। राजनीतिक दलों को जनता का विश्वास अपने कार्य, विचार और आचरण से अर्जित करना चाहिए। विरोध की राजनीति में जनता का हित नहीं होता। एक सशक्त विपक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता है। सरकार से कठिन प्रश्न पृष्ठना, नीतियों की कमियाँ उजागर करना और बेहतर विकल्प प्रस्तुत करना उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार को भी जिम्मेदारी है कि वह प्रश्नों का उत्तर दे और उचित सुझावों को स्वीकार करे। लेकिन जब राजनीतिक विमर्श का केंद्र समाधान के स्थान पर निरंतर भय, अविश्वास और टकराव बनने लगे, तब उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए।

आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर भी राजनीतिक बहस हो रही है। इस बहस का केंद्र प्रत्येक पात्र नागरिक का अधिकार और मतदाता

नकली अदालत, असली कुर्सी और वोट चोरी का ड्रामा

प्रक्रिया

विश्वविद्यालयों में माॅक पार्लियामेंट आयोजित की जाती है, जहां छात्र स्पीकर बनते हैं और संसदीय कार्यवाही का अभ्यास करते हैं। लेकिन भारत में पहली बार कांग्रेस असली सांसदों के साथ भूकली संसद लगाने जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जनमहाभियोग का अभिनय किया जाएगा। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, देखने में उससे ज्यादा अजीब लगेगा। माॅक पार्लियामेंट को संसद का असममान मानते हुए कांग्रेस अब इसे जनमहाभियोग का नाम दे रही है। नाम बदलने से काम नहीं बदलता। बाकायदा नकली संसद का स्वांग होगा, स्पीकर बनेंगे, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा, आरोपपत्र पर चर्चा होगी और उसे पारित किया जाएगा। मीडिया को भी बुलाया जाएगा। संसदीय कार्यवाही का स्वांग रचकर किसी प्रस्ताव पर चर्चा करना संसदीय व्यवस्था का खुला अपमान है। शब्द कुछ भी हों, इसे विदेशों में माॅक पार्लियामेंट कहा जाता है। जनमहाभियोग कहने से यह संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बन जाती।

इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुका है। आरोप है कि वोट चोरी हुई, लेकिन कहां हुई, कैसे हुई और किस बूथ पर हुई, इसका कोई ठोस प्रमाण राष्ट्रपति को नहीं दिया गया। अब जनमहाभियोग के लिए माॅक पार्लियामेंट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी निवास पर आयोजित की जा रही है। सरकारी बंगले पर संवैधानिक संस्था के खिलाफ नकली मुकदमा, यह कौन सा लोकतंत्र है? जिस कथित चोरी का कोई ठोस सबूत सामने नहीं है, उसे लेकर नकली संसद में प्रस्ताव पारित करने से क्या हासिल होगा? जिन चुनावी प्रक्रियाओं से विपक्षी सांसद जोते हैं, उन्हीं से केंद्र और राज्यों की सरकारें भी गठित हुई हैं। यदि सांसद अपनी जीत को ईमानदार मानते हैं, तो हार के लिए चुनावी प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराने का आधार क्या है? जनता भी पूछ रही है कि यदि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो उसी व्यवस्था से जीतने वाले अपनी जीत को सही कैसे मानते हैं?

कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में भी प्रस्ताव दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों के प्रस्ताव को पर्याप्त प्रमाण नहीं होने के आधार पर नामंजूर कर दिया। संसद में बहुमत के बिना ऐसा प्रस्ताव पारित होना भी संभव नहीं है। जब असली संसद में प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया, तो नकली संसद में उसे पारित करके क्या हासिल होगा? माॅक पार्लियामेंट के जरिए संसदीय व्यवस्था का मजाक उड़ाना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। वोट चोरी से जुड़ा मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवालों की जांच न्यायालय में हो सकती है। जब मामला अदालत में है, तो फैसला भी अदालत ही करेगी। बंगले में लगने वाली नकली अदालत से न्यायिक फैसला नहीं बदलता।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को जीवित रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। यदि मुद्दा ठोस है, तो उसके समर्थन में प्रमाण



सूची की विश्वसनीयता होना चाहिए। एक सही मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। उसमें नए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ें, गलत विवरण सुधरें और मृत अथवा दोहरी प्रविष्टियों का निराकरण निर्धारित प्रक्रिया से हो। साथ ही, किसी पात्र नागरिक का नाम छूटने पर उसे सुधार का प्रभावी अवसर मिले। जनता के नाम पर राजनीति करने वालों को जनता की सुविधा और सुरक्षा के प्रति भी जवाबदेह होना होगा। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, शांतिपूर्ण विरोध को सम्मान मिले और हिंसा पर निष्पक्ष, विश्विसम्मत कार्रवाई हो। मतदाता सूची पर बहस हो, लेकिन मतदाता के मन में भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों ने देश में अराजकता फैलाने का काम किया है, वह राष्ट्रहित में नहीं है। हमारे संविधान में मतदाता को जो अधिकार दिये गये हैं, उसी से हमारे

लोकतंत्र जनादेश से चलेगा, अराजकता के दबाव से नहीं



और तथ्यों की जरूरत होती है, अभिनय की नहीं। असली मुद्दों को जनता खुद उठाती है, जबकि कमजोर मुद्दों को जीवित रखने के लिए मंच सजाने पड़ते हैं। मुद्दे को जीवित रखने के लिए पार्टी संगठन को कमजोर छोड़ देना समझदारी नहीं है। चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। आगामी चुनावों के लिए भी संगठन की तैयारी उत्साहजनक दिखाई नहीं देती। पार्टी को जमीन पर मजबूत करने के बजाय वोट चोरी के मुद्दे पर अभियान चलाया जा रहा है। किसान को ख़ाद चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए और व्यापारी को बाजार चाहिए। वोट चोरी की थ्योरी से किसी का घर नहीं चलेता।

कांग्रेस एक नवंबर को रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित कर रही है। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लोगों से शामिल होने की अपील कर रहे हैं। पुलिस और लाठियों से नहीं डरने की बात कहकर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। रैली के आयोजन में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था करें। दीपावली के त्योहार पर व्यापारियों द्वारा रैली स्थगित करने की मांग के बावजूद कांग्रेस का आयोजन पर अड़े रहना भी समझ से परे है। अभी तत्काल कोई चुनाव नहीं है, इसलिए रैली टाली जा सकती थी। सोशल मीडिया पर माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, जैसे यह अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी नेताओं को सौंपी गई है। कांग्रेस का यही राजनीतिक चरित्र दिखाई देता है। यह कार्यकर्ता आधारित पार्टी के बजाय नेता आधारित पार्टी बनती जा रही है। बूथ स्तर पर मजबूत कैडर खड़ा करने की जरूरत अब भी बनी हुई है।

माॅक पार्लियामेंट के जरिए राहुल गांधी और दूसरे सांसद अपना ही मजाक बना रहे हैं। इसे लोकतंत्र की माॅकरी का प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। सियासत में दिखावा, पाखंड और बनावटीपन सबसे बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। इससे असली मुद्दे दब जाते हैं और नकली मुद्दों पर पूरी फिल्म बनाने की कोशिश होती है। संसदीय व्यवस्था का सम्मान करना सांसदों का बुनियादी दायित्व है। उसे अपमानित करके कोई भी सांसद सम्मानित नहीं हो सकता। नकली संसद से असली सवाल नहीं दबते, बल्कि और बड़े हो जाते हैं। आखिर सवाल वही है, सबूत कहाँ है?

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में जीत का उत्सव और हार का आत्म-मंथन, दोनों आवश्यक हैं। जनता के निर्णय से असहमति हो सकती है, लेकिन उसके विवेक का अनादर लोकतांत्रिक राजनीति को कमजोर करता है।

राजनीतिक दलों को जनता का विश्वास अपने कार्य, विचार और आचरण से अर्जित करना चाहिए। विरोध की राजनीति में जनता का हित नहीं होता। एक सशक्त विपक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता है।

सूच्यमंत्री के रूप में मेरा विश्वास है कि प्रदेश की ऊर्जा, विकास और निर्माण में लगनी चाहिए। किसान को बेहतर अवसर चाहिए, युवा को रोजगार और कौशल चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और प्रत्येक परिवार को संवेदनशील शासन चाहिए। इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए शांति, कानून-व्यवस्था और सामाजिक विश्वास आवश्यक हैं। हम राजनीतिक बहस को जनता के वास्तविक प्रश्नों से जोड़ें। सरकार अपने काम का हिसाब दे। विपक्ष बेहतर विकल्प रखे। नागरिक निर्भय होकर अपनी बात कहें। निर्वाचन प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए सबको मिलकर सहयोग करना होगा।

लोकतंत्र की ताकत उस नागरिक के विश्वास में है, जो कह सके कि सरकार किसी भी दल की हो, उसके अधिकार और सम्मान की रक्षा होगी। ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ केवल एक नारा या विचार नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य भी है। हर राजनीतिक दल का यह दायित्व होना चाहिए कि जनादेश का सम्मान हो, विरोध में मर्यादा हो, शासन में जवाबदेही हो और कानून के सामने सब समान हों। भारत की दिशा जनता अपने मत से तय करेगी। राजनीतिक सफलता का रास्ता उसी जनता के विश्वास अर्जित करने से होकर जाएगा। यही लोकतंत्र की सच्ची भावना है।

(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

फाइल नहीं, भरोसा बोलेगा, अब मध्य प्रदेश में उद्योग की नई इबारत जब सरकार ने कहा, पहले शुरू करो, कागज बाद में

मध्य प्रदेश ने उद्योग लगाने के तरीके को बदलने की पहल की है। अभी तक उद्योगपति फाइल लेकर दफ्तरों के चक्कर लगाता था, अब सरकार कह रही है कि आप काम शुरू करें, कागजी प्रक्रिया बाद में पूरी होगी। पंद्रह तरह के छोटे और हरित उद्योग अब स्वघोषणा के आधार पर शुरू हो सकेंगे और एक ही फॉर्म से नौ विभागों की रक़ावटें दूर होंगी। नोडल एजेंसी के तौर पर एमपीआईडीसी को जिम्मेदारी दी गई है और मुख्य सचिव स्तर पर निगरानी समिति बनाई गई है, जो हर तिमाही समीक्षा करेगी। यह बदलाव केवल प्रक्रिया का नहीं, बल्कि मानसिकता का भी है। जहां पहले संदेह था, वहां अब भरोसे को प्राथमिकता दी जा रही है। नई नीति का मूल मंत्र है, विश्वास पहले और सत्यापन बाद में। उद्यमी को ऑनलाइन घोषणा पत्र देना होगा कि वह नियमों का पालन करेगा। इसके आधार पर उसे काम शुरू करने की अनुमति मिल सकेगी। इसके बाद तीस दिन के भीतर सभी संबंधित विभागों को अपनी आपत्ति या सुझाव देने होंगे। निर्धारित समय में आपत्ति नहीं आने पर अनुमति स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी। यह व्यवस्था रियल टाइम डैशबोर्ड से जुड़ी होगी, जहां हर आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी और शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया भी उपलब्ध होगी।

सरकार ने उन उद्योगों को चुना है, जो अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इनमें कपड़ा और कॉन्फेक्शनरी, रबर और टायर, गुड़ निर्माण, पशु आहार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सोलर असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ऑटो पार्ट्स, फूड प्रोसेसिंग और कृषि उपकरण जैसे उद्योग शामिल हैं। ये उद्योग छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहीं थी। अब एक ही फॉर्म और निर्धारित समय सीमा से प्रक्रिया आसान बनाने का प्रयास किया गया है। यदि कोई अधिकारी बिना कारण फाइल रोकता है, तो उसकी जवाबदेही तय होगी और मामला उच्च अधिकारी तक पहुंच सकेगा।

हर साल निवेशक सम्मेलनों में हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आते हैं,



लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना बड़ी चुनौती रहा है। जमीन आवंटन से लेकर बिजली कनेक्शन तक की लंबी प्रक्रियाओं के कारण कई उद्यमी दूसरे राज्यों का रुख कर लेते हैं। ऐसे में अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाना और कारोबार के अनुकूल वातावरण तैयार करना जरूरी है। भरोसे पर आधारित शासन और स्वनियमन की व्यवस्था इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।

इस नीति का लाभ छोटे उद्यमियों को भी मिल सकता है, जो सीमित पूंजी से अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित होने से रोजगार बढ़ सकता है, पलायन घट सकता है और कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण संभव हो सकता है। गन्ने से गुड़, सोयाबीन से तेल और दूध से पनीर जैसे उत्पाद स्थानीय स्तर पर तैयार होने से किसानों को भी बेहतर बाजार मिल सकता है।

हालाँकि, स्वघोषणा का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि कोई भी उद्यमी कहीं भी उद्योग स्थापित कर सके। यदि कोई झूठी जानकारी देता है या सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मानकों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए औचक निरीक्षण, प्रभावी ऑडिट और शिकायतों के त्वरित निवारण की व्यवस्था जरूरी है, ताकि औद्योगिक विकास के साथ जनहित और पर्यावरण की सुरक्षा भी बनी रहे। यह फैसला केवल औद्योगिक प्रक्रिया में बदलाव नहीं, बल्कि शासन की सोच में परिवर्तन का संकेत है। सरकार यदि उद्यमियों पर भरोसा जताती है और उन्हें अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत देती है, तो वे भी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि यह प्रयोग सफल होता है, तो मध्य प्रदेश में निवेश, रोजगार और स्थानीय उद्यमिता को नई गति मिल सकती है। यही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

रणनीति का आधार बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे डॉक्टर जांच के बिना इलाज नहीं करता, वैसे ही पुलिस भी डेटा के आधार पर गश्त और संसाधनों की तैनाती तय कर सकेगी। इससे पुलिस की मौजूदगी ज़रूरत के सुताविक सुनिश्चित करने और अपराधों को पहले ही रोकने में मदद मिल सकती है। रियलिटी चेक से यह भी पता चलेगा कि डायल 112 पर कॉल के बाद पुलिस कितनी देर में पहुंचती है और सीसीटीएनएस से मामलों को सुलझाने में कितना समय लगता है।

इस रिसर्च का महत्वपूर्ण पड़ाव सिंहस्थ महाकुंभ 2028 होगा। वहां आने वाले करोड़ों लोगों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए शोध से मिले निष्कर्ष उपयोगी साबित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस यदि डेटा आधारित रणनीति अपनाती है, तो वह केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं, बल्कि शोध और विश्लेषण के आधार पर काम करने वाली व्यवस्था बन सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुलिस की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी हो सकती है, जनता का भरोसा बढ़ सकता है और अपराध नियंत्रण को नई दिशा मिल सकती है। यही खाकी की नई रणनीति है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)



बाद पुलिस के फैसले पुराने ढ़ँ के बजाय ठोस तथ्यों और शोध के आधार पर लिए जाएंगे। नाता जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी सामाजिक और व्यवहारगत